## बिहार सरकार,
## कृषि विभाग।

पत्र संख्या–4/कृ०शि०को0–24/2015– 3177 /कृ0, पटना, दिनांक 08.08- 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

**विषयः–** **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2017–18 में राज्य योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान तथा स्टाइपेंड के लिए 4500.82 लाख रूपये (पैतालीस करोड़ बेरासी हजार रूपये) की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2017–18 में राज्य योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान तथा स्टाइपेंड के लिए 4500.82 लाख रूपये (पैतालीस करोड़ बेरासी हजार रूपये) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य में कृषि शिक्षा एवं शोध के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध कृषि/उद्यान महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है। राज्य में कृषि शिक्षा एवं शोध को सुदृढ़ करने के लिए राज्य योजना मद से वर्ष 2006–07 में नालन्दा उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय, वर्ष 2007–08 में मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, सहरसा, वर्ष 2009–10 में वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमराँव, वर्ष 2010–11 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर तथा भोला पासवान शास्त्री कृषि विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ एवं वर्ष 2013–14 में डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज की स्थापना की गयी हैं।

3. उक्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पठन–पाठन का कार्य शुरू हो चुका है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय को आई.सी.ए.आर. द्वारा एक्रीडिशन किया गया है। अल्प समय में विश्वविद्यालय की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शिक्षा के साथ–साथ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर शोध शामिल है। कम पानी में अधिक उपज देने वाले सबौर अर्द्धजल, सबौर निर्जल जैसे महत्वपूर्ण प्रभेदों का विकास विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। प्रसार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय तथा इसके अधीन महाविद्यालय में प्रत्येक शनिवार को किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है।

4. बिहार कृषि विश्वविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध नवसृजित महाविद्यालयों के लिए स्थापना/स्टाईपेंड से संबंधित मदों में राशि की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जाती है,

(राशि लाख रू० में)

| Sl. No. | Description of Item | BAU Sabour, Bhagalpur, Hq | VKS Agri College Dumraon | BPS Agri. College Purnea | Nalanda Hort. College, Nalanda | MB Agri. College, Saharsa | Dr. Kalam Agri. College, Kishanganj | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salary | 1362.42 | 357.68 | 475.35 | 705.32 | 331.16 | 4.21 | 3236.14 |
| 2 | Prize/Gift | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
| 3 | Medical Reimbursement | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 17.5 |
| 4 | T.A, etc. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |
| 5 | Office Expenses | 173.25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 52 | 345.25 |
| 6 | Vehicle Runnig Expense | 19 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 63.65 |
| 7 | Telephone | 7 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 34.3 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Electricity | 165 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 180 |
| 9 | Legal expense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | Liveries | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 |
| 11 | Printing and Publications | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 12 | Visitors/Guests | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 15.5 |
| 13 | Conference/ Seminar | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.5 | 42.5 |
| 14 | Material& Supplies | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 5.5 | 69.8 |
| 15 | Minor work & Repair | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 53.58 |
| 16 | Business & Spl. Services | 10.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 35.5 |
| 17 | Stipend | 338.4 | | | | | | 338.4 |
| | **Total** | **2131.06** | **456.76** | **574.43** | **804.4** | **430.24** | **103.93** | **4500.82** |

5. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर से संबद्ध महाविद्यालयों में कृषि/उद्यान/गव्य प्रौद्योगिकी एवं पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाईपेंड के भुगतान के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। छात्रों के स्टाईपेंड की राशि पूर्व की तरह 2000 रू० प्रति माह तथा पुस्तक आदि के क्रय के लिए 6000 रू० प्रति वर्ष प्रति छात्र भुगतान की जायेगी।

6. स्वीकृत राशि नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को विमुक्त किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों का भुगतान बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना तथा संजय गाँधी गव्य संस्थान, पटना को स्टाईपेंड मद में आकलित राशि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को विमुक्त किया जायेगा।

7. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वियन के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सकता है।

8. वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत राशि निम्न प्रकार से बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा,

(राशि लाख रूपये में)

| बजट शीर्ष | उपबंधित राशि | पूर्व में निकासी के लिए स्वीकृत राशि | वर्तमान में निकासी के लिए स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–277–शिक्षा, माँग संख्या–01, उपशीर्ष–0108– बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड– 01-2415012770108 | | | |
| विषय शीर्ष 0108.31.04 सहायक अनुदान वेतन | 3442.03 | 0 | 2686.00 |
| विषय शीर्ष 0108.31.06 सहायक अनुदान – गैर वेतन | 1094.81 | 30.50 | 1046.61 |
| **कुल** | **4536.84** | **30.50** | **3732.61** |
| मुख्य शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष–0103–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड– 01-2415017890103 | | | |
| विषय शीर्ष 0103.31.04 सहायक अनुदान वेतन | 663.50 | 0 | 517.78 |
| विषय शीर्ष 0103.31.06 सहायक अनुदान – गैर वेतन | 211.00 | 0 | 204.91 |
| **कुल** | **874.50** | **0** | **722.69** |
| मुख्य शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उप मुख्य शीर्ष 01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष–0104–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड– 01-2415017960104 | | | |
| विषय शीर्ष 0104.31.04 सहायक अनुदान वेतन | 41.47 | 0 | 32.36 |
| विषय शीर्ष 0104.31.06 सहायक अनुदान – गैर वेतन | 13.19 | 0 | 13.16 |
| **कुल** | **54.66** | **0** | **45.52** |
| **सकल योग** | **5466.00** | **30.50** | **4500.82** |

9. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में वर्ष 2016–17 तक स्टाईपेंड योजना स्वीकृत की गयी थी। पूर्व की भांति वर्ष 2017–18 में भी स्टाईपेंड की योजना की स्वीकृति दी जाती है। आगामी वर्षों में

बजट उपबंध तथा योजना के निर्धारित शर्तों के अधीन राशि की आवश्यकता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा योजना की स्वीकृति दी जा सकेगी। इसी प्रकार स्थापना से संबंधित योजनाओं को चालू योजना की श्रेणी में रखते हुए बजट उपबंध के अधीन वित्त विभाग के परिपत्र के अनुरूप स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

10. व्यय हेतु स्वीकृत राशि 4500.82 लाख रू० की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत कृषि महाविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विश्वविद्यालय के द्वारा बजट में उपबंधित मदों के अनुसार राशि का व्यय किया जायेगा। मदवार व्यय में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग से दिशा–निर्देश प्राप्त किये जा सकेंगे। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत हैं।

11. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०–42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. विश्वविद्यालय स्वीकृत राशि की मदवार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र, महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजेगा एवं इसकी प्रतिलिपि कृषि विभाग को भी उपलब्ध करायेगा।

14. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

15. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 3758, वि0, दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 01.08.2017 को स्वीकृति संचिका संख्या–4/कृ०शि०को0–24/2015 की पृ0सं0–85/टि० पर प्राप्त है।

16. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–4/कृ०शि०को– 24/2015 के पृ0सं0–87/टि० पर दिनांक– 08.08.2017 को प्राप्त है।

17. वित्त विभागीय पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

8.8.2018

**(सुधीर कुमार)**

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को0–24/2015– 3177 /कृ0, पटना, दिनांक 08-08-, 2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.8.2018

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को0–24/2015– 3177 /कृ0, पटना, दिनांक 08-08-, 2017

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.8.2018

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 4/कृ०शि०को0–24/2015– 3177 /कृ0, पटना, दिनांक 08-08-, 2017

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 4/कृ०शि०को0–24/2015– 3177 /कृ0, पटना, दिनांक 08-08-, 2017

प्रतिलिपि:– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी.पी.एम. (कृषि विभाग) बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बिहार/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर/संयुक्त कृषि निदेशक (मु0), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग (मुख्यालय) के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा/बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

8.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।